संख्याः– 550/78–1–2020–59आईटी/2015टीसी

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक 07 मई, 2020

विषय :– लॉकडाउन–3 अवधि के दौरान Special Economic Zone (SEZs) से बाहर के क्षेत्रों में आई0टी0–आईटीईएस इकाइयों के कार्यालयों को खोले जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त संदर्भ में भारत सरकार के गाइडलाइन दिनांक 01.05.2020 द्वारा दिनांक 04 मई से 17 मई, 2020 की लॉकडाउन अवधि के दौरान ग्रीन, आरेन्ज तथा रेड जोन के अन्तर्गत निर्दिष्ट प्रकृति के वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों एवं औद्योगिक इकाइयों को कतिपय शर्तों के साथ परिचालन की अनुमति प्रदान की गई है। इस सम्बन्ध में गृह (गोपन) अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–381/2020/सीएक्स–3 दिनांक 03 मई, 2020 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं। लॉकडाउन–3 अवधि के दौरान नेसकॉम नोएडा द्वारा Special Economic Zone (SEZs) से बाहर के क्षेत्रों में आई0टी0–आईटीईएस इकाइयों के कार्यालयों को खोले जाने के सम्बन्ध में इन इकाइयों द्वारा परिचालन की अनुमति दिये जाने का अनुरोध किया जा रहा है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लॉकडाउन–3 की अवधि के दौरान अनुमन्य गतिविधियों के सम्बन्ध में जारी शासनादेश संख्या–381/2020/सीएक्स–3, दिनांक 03.05.2020 में वर्णित बिन्दु संख्या–7.ii.g में निर्धारित व्यवस्था के अन्तर्गत SOP का पालन करने की शर्त पर कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर रेड जोन में **Special Economic Zone (SEZs) से बाहर के क्षेत्रों में आई0टी0–आईटीईएस इकाईयों के कार्यालयों को खोले जाने की अनुमति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।** शासनादेश दिनांक 03.05.2020 के शेष उपबन्ध यथावत् प्रभावी रहेंगे।

कृपया शासनादेश दिनांक 03.05.2020 के उपबन्धों का कड़ाई से अनुपालन कराते हुए उपरोक्त के संबंध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

आलोक

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्याः– 550(1)/78–1–2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
2– प्रबन्ध निदेशक, यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।

आज्ञा से,

07/05/2020

(ऋषिरेन्द्र कुमार)
विशेष सचिव